



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9699

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 5675 वर्ष 2025

श्रीमती पुष्पा देवीआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अमित सक्सेना, प्रिया सक्सेना

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि., मयंक मौर्या

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आज आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री सुनील वशिष्ठ, अधिवक्ता जो श्री अमित सक्सेना, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हैं, श्री मयंक मौर्या, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा सुश्री इफ्राह इस्लाम, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 304 वर्ष 2024, धाराओं 103(1), 61(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - दातागंज, जिला - बदायूँ में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहती है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक जो मृतक की पत्नी है, द्वारा यह दावा करते हुए शोर मचाना बताया गया है कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है और वह छत से फाँसी के फंदे पर लटका पाया गया। तत्पश्चात यह पाया गया कि शव छत से लटका हुआ नहीं था बल्कि पास में एक रस्सी पड़ी थी। यह आरोप है कि आवेदक ने सह-अभियुक्त मुकेश, जो कथित रूप से उसका प्रेमी है, के साथ मिलकर उक्त अपराध कारित किया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में केवल संदेह के आधार पर असत्य रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथित अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग छह दिनों के अस्पष्ट विलंब से दर्ज की गई और पंचनामा कार्यवाही के दौरान आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप या यहाँ तक कि किसी अपराध का कोई संकेत भी नहीं था।
6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि अन्वेषण के दौरान आवेदक के पुत्र का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने आवेदक के विरुद्ध संदेह को स्पष्ट रूप से नकार दिया है, यद्यपि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। यह भी अविवादित है कि मृतक की मृत्यु हो गई है और पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व गला घोटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध है।
7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक दिनांक 25.7.2024 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण में सहयोग करेगी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है कि आवेदक मुख्य अभियुक्त है और सह-अभियुक्त मुकेश के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कारित की है। तथापि, वे इस तथ्य को विवादित नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब को ध्यान में रखते हुए तथा पंचनामा रिपोर्ट में आवेदक का नाम न होने की परिस्थिति को भी ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया मुझे यह मामला आवेदक को जमानत पर रिहा करने योग्य प्रतीत होता है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - श्रीमती पुष्पा देवी को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगी/उन्हें भयभीत नहीं करेगी। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।
11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 14 जनवरी, 2026 सिद्धांत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"